

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019


जयपुर, दिनांक : 11.04.2019

आदेश

विभाग के विभिन्न आदेश यथा दिनांक 08.02.2019 को 31+31+35, दिनांक 12.02.2019 को 15, दिनांक 20.02.2019 को 32, दिनांक 05.03.2019 को 43 नवनियुक्त चिकित्सक, दिनांक 06.03.2019 को 6, दिनांक 07.03.2019 को 10+484, दिनांक 08.03.2019 को 3+7+5+117+31 एवं दिनांक 09.03.2019 को 7 चिकित्सकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के आदेश जारी किये गये थे। उक्त स्थानान्तरित चिकित्सकों को स्थानान्तरित स्थान से कार्यमुक्त करने एवं नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।


उक्त अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.3(1)(7)/निर्वा.
/2019/3535 दिनांक 02.04.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम.
- 5- निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, स्वास्थ्य भवन।
- 7- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभाग द्वारा उक्त किये गये स्थानान्तरण आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाकर इस विभाग को अवगत करावें
- 8- निदेशक (प.क./ई.एस.आई./एम.एस.यू.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 9- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 10- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 11- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
- 12- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 13- संबंधित अधिकारी
- 14- कम्प्यूटर सेल
- 15- निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/2019/313

दिनांक : 12/04/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
3. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, स्वास्थ्य भवन।
4. निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।
5. निदेशक (प.क./ई.एस.आई./एम.एस.यू.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।
6. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
7. सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
8. सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान।
10. सम्बंधित अधिकारी।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
12. निजि/आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।